

**शपथ-पत्र**

समक्ष- लाइसेंसिंग अधिकारी, फल पौधशाला / निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

मैं (पौधशाला स्वामी / आवेदक का नाम) .....  
..... पुत्र श्री ..... निवासी ग्राम / मो०.....  
..... पोस्ट..... विकास खण्ड..... परगना.....  
तहसील..... जिला..... शपथपूर्वक निम्न बयान करता हूँ :-

- 1- यह कि शपथकर्ता भूमि खसरा सं०..... क्षेत्रफल..... हे० ग्राम..... पोस्ट..... परगना..... तहसील..... जनपद..... का भूस्वामी है।
- 2- यह कि शपथकर्ता द्वारा उक्त भूमि के ..... हे० क्षेत्रफल में फलदार पौधों के उत्पादन हेतु फल पौधशाला की स्थापना की गयी है।
- 3- यह कि शपथकर्ता उक्त पौधशाला के लाइसेंस हेतु आवेदन कर रहा है।
- 4- यह कि शपथी उत्तर प्रदेश फल पौधशाला (विनियमन) अधिनियम, 1976 और उसके अधीन बनाये गये नियमों के विभिन्न उपबन्धों का पालन करेगा।
- 5- यह कि फल पौधशाला की मिट्टी विशेष प्रकार के ऐसे फल के पौधों के, जिनके सम्बन्ध में लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया है, के उत्पादन के लिए उपयुक्त है।
- 6- यह कि फल पौधशाला में फल के पौधों के वानस्पतिक उत्पादन के लिए मातृ पौधे और मूल वृन्त उपलब्ध है।
- 7- यह कि मातृ पौधे और मूल वृन्त रोग और नाशीकीट से मुक्त हैं।
- 8- यह कि रोग और नाशी कीट के संक्रमण को रोकने के लिए रोग निरोधक पौध संरक्षण प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
- 9- यह कि लाइसेंस को सदैव फल पौधशाला के परिसर में रखा जायेगा लाइसेंस प्राधिकारी के मांगने पर निरीक्षण और जाँच करने के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।
- 10- यह कि लाइसेंस धारी पौधशाला के फल के पौधों, मातृ पौधों और मूल वृन्तों में किसी रोग या नाशीकीट के फैलने और उस रोग और नाशीकीट का नियंत्रण करने के लिए की गयी कार्यवाही की सूचना लाइसेंस प्राधिकारी को देगा।
- 11- यह कि लाइसेंस धारी केवल उन पौधों का उत्पादन और विक्रय करेगा जिनके लिए लाइसेंस दिया गया है।
- 12- यह कि ऐसे फलों के पौधों को, जो मानक के अनुसार नहीं होंगे, लाइसेंस प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी की उपस्थिति में नष्ट कर देगा।  
शपथकर्ता.....  
पता.....  
प्रमाणित किया जाता है कि शपथ-पत्र के क्रमांक 01 से 12 तक की सूचना मेरी जानकारी में सही है।  
शपथकर्ता.....  
पता.....